

विचार बिन्दु

गुलामों की अपेक्षा उन पर अत्याचार करने वाले की हालत ज्यादा खराब होती है। -महात्मा गाँधी

“हील इन राजस्थान” किसकी कीमत पर

खबर है कि राजस्थान सरकार प्रदेश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लाने की योजना बना रही है। कहा गया है कि हील इन राजस्थान नाम की यह नीति इस प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनायेगी जिससे निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सरकार की ओर से ऐसी घोषणाएं होना फैशन हो चुका है। आम तौर पर लोकप्रियता पाने के लिये ऐसी घोषणाएं होती हैं जिनके निहितार्थ भी होते हैं। नीतियों की समीक्षा उनके ध्येय और परिणामों को देख कर की जा सकती है। किसी नीति से लोग क्या चाहते हैं और उन्हें उससे हासिल क्या होता है यह देखने की बात है। सरकार नीतियां बनाती है मगर उसके बाद कभी उनकी समीक्षा हुई हो किसी को याद नहीं पड़ता। यह भी सच है कि सरकारी नीतियां बनाने में आम जन की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती, भले ही सार्वजनिक रूप से विचार आमंत्रित करने की रस्में निर्धारित होती हैं। आम जन उनके प्रति उदास ही रहता है, क्योंकि उसने लंबे अनुभव से जान लिया है कि यह सब बातें हैं बाता का क्या। इसलिए यह तो नीति बनने के बाद ही पता चलेगा कि हील इन राजस्थान का नया फैसला पहले से चल रही मेडिकल टूरिज्म की अवधारणा से कैसे कुछ अलग कर पाएगा। यह भी सब जानते हैं कि उद्योग और निवेश की नीतियां बाजार की ताकतों के प्रभाव से बनती हैं। यह बात भी विद्वान लोग समझते हैं कि जिनके हाथ में पैसे की ताकत होती है उन्हें कोई फ्रक नहीं पड़ता कि कानून कौन बना रहे है। दुनिया में शस्त्रों के बाद चिकित्सा व दवा सबसे बड़ा उद्योग है जो पश्चिम के पूंजीवादी जगत से बाहर नई उपर रही अर्थव्यवस्थाओं में अपना चरम बड़ा कर अपने बाजार को राहें प्रशस्त करने में लगा है। मरीजों के रोगों का निदान, उनका इलाज और उनकी देखभाल नई अर्थ व्यवस्था में मुनाफा देने वाला बड़ा उद्योग है और वह मौजूदा समय में देश में सर्वत्र फल-फूल रहा है। राजस्थान में पिछले काफी समय से राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को पूरी तरह बाजार के हवाले कर दिया है। यह स्पष्ट है कि हील इन राजस्थान नीति बाजार के खिलाड़ियों को जमीनें तथा नयी ढांचागत सुविधाएं देने के विधिक प्रबंध करने के लिये लाई जा रही है। सरकार की तरफ से यह कहा जाना कि इस नीति से; फार्मा और होटल व्यवसाय समेत अन्य उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा, इस कदम के पीछे की नीयत को स्पष्ट करता है। यह वैसे ही है जैसे शिक्षा की निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की नीतियों से जना पहले देख चुकी है और जिसका खामियाजा समाज को अब बेदरदी से भुगतना पड़ रहा है। नीति के समर्थन में निवेश आने की बात को गई है उसका आशय भी स्पष्ट है कि अस्पतालों और उनके संचालन के लिए जरूरी भवनों, उपकरणों तथा मानव संसाधनों में पैसा लगाने के लिये सरती ज़मीनें और ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि निवेशक उनसे मुनाफा कमा सकें।

लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही विधायिका के प्रति होती है। मगर विधायकों की जवाबदेही मतदाताओं के प्रति कितनी है इसकी हकीकत हर कोई जानता है। फिर भी निर्वाचित सरकार से यह जरूर पूछा जाएगा कि क्या राजस्थान के परंपरागत पर्यटन में इतनी पूर्णता प्राप्त कर ली गई है कि अब पर्यटन के लिये चिकित्सा के नये क्षेत्र खोजने पड़ रहे हैं। या कि क्या हमारी नागरिक सुविधाओं का ढांचा इतना मजबूत बना लिया गया है कि हम पर्यटकों को अपना सुंदर चेहरा दिखा सकें? और इनसे भी पहले यह कि क्या प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा और स्वास्थ्य की सामान्य व्यवस्था पूरी तरह और माफ़ूल तौर पर सुहृदा हो गई है? क्या इससे समूचे चिकित्सा और स्वास्थ्य तंत्र में असंतुलन नहीं पैदा हो जाएगा जो गरीबों की कीमत पर होगा? मगर अब तो गरीब आदमी के वोट से चुनी सरकार से लोगों ने यह पूछना ही छोड़ दिया है कि नीतियों के नाम पर यह कैसा मायाजाल फैलाया जा रहा है? क्या निर्वाचित सरकारों का ऐसा आचरण लोकतंत्र में स्वीकार्य होना चाहिए? भारत के संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36-51 में लोक के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित बातों का वर्णन है। ये अनुच्छेद भारत के लोगों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एनडीए का कर्तव्य बताते हैं। अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है। राज्य को औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं और नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाने की अनुषा भी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 38 राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए उपरदायी ठहराता है। अनुच्छेद 39 (दू) श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा का राज्य को निर्देश देता है। इसमें राज्य के अन्य कर्तव्य भी शामिल हैं, जैसे बीमारों, बुजुर्गों और विकलांगों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना आदि। मगर खुद सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में देश की आबादी में रुग्णता की दर में भारी वृद्धि हुई है, खासकर गैर-संचारी रोगों के लिए। भारत में होने वाली मौतों के कुल कारणों में गैर-संचारी कारणों से होने वाली मौतों की हिस्सेदारी कुल मौतों में अब तक के उच्चतम 66 प्रतिशत पर है। पुरानी बीमारियों में वृद्धि के साथ, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों से भी एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि भारत की जनसंख्या वृद्धिव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, समय मरुत दर में कमी आ रही है, लेकिन रुग्णता दर, विशेष रूप से पुरानी गैर-संचारी रोगों से बोझ, पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा है। नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य विशेषज्ञ निरंतर चेतावनी या रहे हैं कि भारत का स्वास्थ्य बोझ उच्च मरुत दर से उच्च रुग्णता की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए बढ़ती आबादी में निवारक देखभाल और पुरानी बीमारियों के प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सतत विकास लक्ष्य 2030 भी रोकथाम और उपचार के माध्यम से संचारी रोगों की महामारी को समाप्त करने और गैर-संचारी रोगों से होने वाली असामर्थिक मरुत दर को एक तिहाई तक कम तक लाने की बात करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, गैर-संचारी रोगों का शीघ्र पता लगाने और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्वस्थ भविष्य के लिए पोषण और स्वास्थ्य देखभाल तक आम आदमी की सहज पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है जिसके लिये संविधान के निर्देश भी हैं। किन्तु आम आदमी के नाम पर बनने वाली अधिकतर नीतियां मुनाफाखोर बाजार की ताकतों के भले के लिये बनती हैं। हील इन राजस्थान नीति को इसी परिपेक्ष्य में समझना होगा और आम नागरिकों को जागरूक होना होगा कि उनके द्वारा चुकाये जाने वाले करों का पैसा किनकी जेब में जाने के लिये खर्च किया जाता है। आयकर को छोड़ दें तो उसके अलावा भी आम आदमी को कदम-कदम पर सरकारी शुल्क चुकाने पड़ते हैं जिनके बारे में लेखा परीक्षण की संवैधानिक संस्था सीपीए हर साल अपनी रिपोर्टों में ऐसी-ऐसी अनियमितताएँ उजागर करती हैं जो किसी की भी परेशान कर सकती हैं। वे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं ताकि कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। मगर भ्रष्टाचार की सुरसा का मुंह बढ़ता जाता ही दिखता है।

सबाल उठता है कि क्या बाजार में अंधाधुंध मुनाफा कमाने वाली की शक्तियों के हित में बनाई जाने वाली लोक सुभावन नीतियों पर उन मतदाताओं का कोई नियंत्रण है जिनके जीवन को वे प्रभावित करने वाली हैं? बहुतां को लगता है कि नई सरकार भी पिछली अशोक गहलोर सरकार जैसी शरुफेवाजी और प्रचार के प्रबंध में पड़ रही है। नई नीति में नया क्या होगा? अब तक यह 'मेडिकल टूरिज्म' नाम से इसे पहचाना जाता था। बाजार की ताकतें नाम और रैंप बदल कर पुराना साबुन नया बता कर बेचने का हुनर रखती हैं। ऐसी नीतियां सत्कार्ड पार्टी का संघटन नहीं बनाता। नीति के नाम पर अधिक सुविधाएं मुनाफे वाले निजी संस्थानों को देने के नये-नये तरीके नौकरशाही तैयार करती हैं। दुर्भाग्य से हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि इतने अनाड़ी होते हैं कि उन्हें खबर ही नहीं होती कि नौकरशाही उनसे क्या खेल खिला रही है। मसौदा नीति के अनुसार, राजस्थान का स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा मजबूत है और इसका लगातार विस्तार हो रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र में 8,000 से अधिक अस्पताल हैं। इनमें से 400 से अधिक मल्टी-स्पेशियलिटी या सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान हैं। किन्तु चिकित्सा की ओर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की ज़रूरतें हकीकत से कौन वाकफ़ नहीं है! सरकारी व्यवस्थाओं की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने की नीति बनाने की किसी को याद नहीं आती। बिना ढांचागत व्यवस्था बनाये सरकारी और निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोल देना और सरकारी अमले के वेतन भत्तों के बढ़ते खर्चों के लिये बजट आवंटन बढ़ा देने भर से संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे नहीं होते। यह घोषणा भर कर देने से कि; स्वास्थ्य देखभाल राज्य के लिए एक मुख्य प्राथमिकता है लोक कल्याणकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित नहीं होती। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के असमान वितरण की तकलीफ गरीब ही भुगतता है। काश नीति निर्माताओं को यह समझ आये।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



प्रो. अशोक कुमार

डिजिटलाइजेशन के जमाने में साइबर अपराधी रोजाना नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार कर रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर देश के विभिन्न स्थानों पर साइबर ठगी कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट एक नवीनतम साइबर अपराध है जिसमें ठग पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर आपको कॉल करते हैं और डरा-धमकाकर घर पर ही बंधक बना लेते हैं। वे आपको बताते हैं कि

आप किसी अपराध में शामिल हैं और आपको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर वे आपको पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं ताकि आपको गिरफ्तारी से बचा जा सके।

डिजिटल अरेस्ट का इतिहास: डिजिटल अरेस्ट एक अपेक्षाकृत नया शब्द है, जो तकनीक के बढ़ते उपयोग और साइबर अपराधों में वृद्धि के साथ उभरा है। हालांकि, इसके मूल में छिपी तकनीकें और धोखे बहुत पुरानी हैं। धोखाधड़ी का इतिहास मानव सभ्यता जितना पुराना है। लोग हमेशा से धन या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों को धोखा देते रहे हैं। तकनीक के विकास के साथ धोखे के तरीके भी बदलते गए। पहले लोग व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके धोखा देते थे, फिर टेलीफोन का उपयोग हुआ, और अब इंटरनेट और मोबाइल फोन का उपयोग किया जा रहा है। इंटरनेट के आगमन के साथ साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई। हैकिंग, फिशिंग, और रैसमवेयर जैसे अपराध आम हो गए। डिजिटल अरेस्ट का मूल टेलीमार्केटिंग धोखे में देखा जा सकता है। जहां ठग लोगों को फोन करके

विभिन्न उत्पादों या सेवाओं को बेचने की कोशिश करते थे, वहीं धीरे-धीरे उन्होंने धमकी और डराने की रणनीति अपना ली। इंटरनेट के व्यापक उपयोग के साथ, साइबर अपराध भी बढ़ गए। धोखेबाजों ने लोगों को लुभाने के नए तरीके खोजने शुरू कर दिए। कोविड-19 महामारी के दौरान, जब लोग अधिक ऑनलाइन थे, डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखे और भी आम हो गए। डिजिटल अरेस्ट इन साइबर अपराधों का ही एक रूप है। इसमें साइबर अपराधी पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को डरा-धमकाकर पैसा एंठते हैं। यह धोखा उन लोगों को निशाना बनाता है जो तकनीक से पूरी तरह परिचित नहीं हैं।

डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है? डिजिटल अरेस्ट के शुरुआती दिनों में साइबर अपराधी ईमेल या वेबस्ट मैसेज के माध्यम से संपर्क करते थे। बाद में सोशल मीडिया का उपयोग करने लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। अब साइबर अपराधी वॉयस कॉलिंग का उपयोग करके लोगों को डरा-धमकाते हैं। समय के साथ

डिजिटल अरेस्ट के तरीके अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। साइबर अपराधी अब अधिक यथार्थवादी लगने वाले कॉल और वीडियो का उपयोग करते हैं। आपको अक्सर किसी अज्ञात नंबर से कॉल आएगा जिसमें खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताया जाएगा। वे आपको डरा-धमकाकर बताएंगे कि आप किसी गंभीर अपराध में शामिल हैं और आपके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। वे आपसे आपका बैंक खाता नंबर, पासवर्ड और अन्य गोपनीय जानकारी मांगेंगे। पैसे देने के लिए मजबूर करना: वे आपको पैसे देने के लिए मजबूर करेंगे ताकि आपको गिरफ्तारी से बचा जा सके। डिजिटल अरेस्ट क्यों खतरनाक है? - इस धोखे में आप अपना सारा पैसा गंवा सकते हैं। इस तरह के धोखे से आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो सकते हैं। इस धोखे में आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है जिसका उपयोग अन्य अपराधों में किया जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें? - अगर कोई अज्ञात नंबर से कॉल आता

है तो उसे उठाएं नहीं। पुलिस कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती! अगर कोई खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पैसे मांगता है तो समझ जाए कि यह धोखा है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाता नंबर, पासवर्ड आदि किसी को न बताएं। सावधान रहें और संदेह होने पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें: अगर आपको कोई संदेह होता है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति जैसे परिवार के सदस्य, दोस्त या पुलिस से सलाह लें। पुलिस कभी भी फोन पर पैसे नहीं मांगती। अगर आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो तुरंत पुलिस में शिकायत करें।

निष्कर्ष:- डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा धोखा है जो लगातार विकसित हो रहा है। साइबर अपराधी नए-नए तरीके खोज रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए। इसलिए, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अज्ञात नंबर से आने वाले कॉल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। -प्रो. अशोक कुमार, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय

भारत सरकार को सुझाव : आवश्यकता है एनसीसी व स्काउट गाइड को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किए जाने की



सुनील दत्त गोयल

भारत, एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, आगजनी, रेल, सड़क, पुल दुर्घटनाएं, बड़े समारोहों में भगदड़ और चक्रवात जैसी घटनाएं अक्सर होती हैं, आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। इस दिशा में राष्ट्रीय कैडेट कोर और स्काउट गाइड जैसे संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। वर्तमान में, ये संगठन देश की युवा शक्ति को अनुशासन, नेतृत्व, और सामाजिक सेवा की दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों के पाठ्यक्रमों में ऐसे बदलाव हों जिससे इन बच्चों को प्रारम्भ से ही आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग मिल सके। साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन का स्पेशलाइजेशन हो और इन संगठनों के छात्रों को इसमें

प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य और केंद्र सरकारों में उनकी भर्ती में प्राथमिकता देने से एक सशक्त कार्यबल तैयार किया जा सकता है जो न केवल आपदाओं में बल्कि बड़े सामाजिक, धार्मिक, और राजनीतिक आयोजनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। इस प्रकार का आत्मरक्षा बल तैयार करना राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

एनसीसी और स्काउट गाइड का महत्व एनसीसी और स्काउट गाइड के माध्यम से छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व, और आपातकालीन प्रतिक्रिया कौशल सिखाए जाते हैं। ये संगठन छात्रों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करके देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही, इन संगठनों में शामिल होने से छात्रों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना भी विकसित होती है।

एनसीसी के आंकड़े कुल कैडेट्स: वर्तमान में 7.5 लाख 17 लाख कैडेट्स हैं, और सरकार ने इसे अगले 10 वर्षों में 27 लाख तक बढ़ाने की योजना बनाई है। सक्रिय शाखाएं: NCC के देशभर में 17 निदेशालय हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। प्रशिक्षण संरचना: हर 7.5 बटालियन में 2,520 कैडेट्स को

प्रशिक्षित करने की क्षमता है, जिससे यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन बनता है।

स्काउट गाइड के आंकड़े कुल सदस्य: भारत में स्काउट और गाइड के लगभग 15 लाख सदस्य हैं, जो विभिन्न राज्यों में सक्रिय हैं। सक्रिय शाखाएं: स्काउट गाइड का नेटवर्क देश के कई शहरों और गांवों में फैला हुआ है, जो युवाओं को नेतृत्व और सामाजिक सेवा में प्रशिक्षित करता है।

ऐतिहासिक घटनाओं से सीख - भारत के विभिन्न हिस्सों में आई आपदाओं के दौरान एनसीसी और स्काउट गाइड कैडेट्स ने अपने साहसिक योगदान से यह साबित किया है कि वे संकट के समय देश और समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। 2001 का भूज भूकंप: इस आपदा के दौरान, एनसीसी कैडेट्स ने राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें बचाव अभियान और राहत सामग्री वितरण शामिल था। उनकी तत्परता और प्रशिक्षण ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज किया।

2013 का उच्छराखंड बाढ़: एनसीसी और स्काउट गाइड के सदस्यों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री वितरित करने में मदद की।

COVID-19 महामारी के दौरान, एनसीसी कैडेट्स ने जन जागरूकता अभियान चलाए और सुरक्षित प्रथाओं का पालन करने के लिए समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सकी।

इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि NCC और स्काउट गाइड के सदस्य आपदाओं के समय में अत्यधिक कुशल और समर्पित होते हैं। यदि इन्हें औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे और भी अधिक प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं।

सरकारी नीतियों में सुधार की आवश्यकता

भारत को आपदा प्रबंधन में और सशक्त बनाने के लिए सरकार को निम्नलिखित ठोस कदम उठाने चाहिए:- 1. आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण: NCC और स्काउट गाइड के सभी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें बाढ़, भूकंप, आग, और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के तरीके सिखाए जाएं।

2. विशेष कोर्स की शुरुआत: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर आपदा प्रबंधन में विशेष कोर्स शुरू किए जाने चाहिए, जिसमें NCC और

स्काउट गाइड के छात्रों को प्राथमिकता दी जाए।

3. रोजगार में प्राथमिकता: एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में भर्ती के समय भी NCC और स्काउट गाइड के छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:-NCC और स्काउट गाइड जैसे संगठनों में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण जोड़ने से न केवल आपदा के समय देश को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि छात्रों के बीच इन संगठनों की लोकप्रियता भी बढ़ाई जा सकती है।

इसके साथ ही, सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित कोर्सज की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें इन संगठनों के छात्रों को प्राथमिकता मिले। इतिहास में देखे गए योगदान के उदाहरण हमें यह बताते हैं कि NCC और स्काउट गाइड के प्रशिक्षित सदस्य आपदाओं के दौरान कितना महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। यदि इन्हें और अधिक औपचारिक प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए जाएं, तो ये संगठन समाज के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन सकते हैं।

-सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जयपुर, राजस्थान

बदहाल व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी, प्रदर्शन किया

प्रशासन पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया

अजमेर, (कास)। अजमेर नगर निगम के बार्ड संख्या सात की तीन कॉलोनियों दीप दर्शन, नन्दगढ़ कॉलोनी, एकता नगर के क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि इन दिनों वे नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कॉलोनियों की सड़कें टूटी हैं, बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से गलियां, घरों के बाहर व खाली प्लांटों में पानी भर जाता है। पानी जमा होने से मच्छर पनपने लगे हैं, ऐसे में बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। क्षेत्रवासियों ने बदहाल व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और जन प्रतिनिधियों सहित नगर निगम, जिला प्रशासन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की। क्षेत्रवासी गोविंद सिंह राठौड़ ने

बताया कि उनकी कॉलोनी सोमलपुर पंचायत में आती है। वर्ष 2004 में दीप दर्शन, एकता नगर और नन्दगढ़ कॉलोनी बनाई गई थी। गली नंबर 1 से लेकर 21 नंबर तक की गलियां बसी हुई हैं। ग्राम पंचायत सोमलपुर द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। जब से कॉलोनियों बसी हैं, तब से लेकर आज तक मूलभूत सुविधाओं का आभाव रहा है। संसद, विधायक, सरपंच व पार्षद को कई बार लिखित में अवगत कराने के बाद भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि बरसात का पानी जमा होने से मच्छरों के कारण रहना मुश्किल हो चुका है। पानी इतना भर हुआ कि एम्बुलेंस भी कॉलोनी में नहीं आ सकती है। गर्भवती महिला को भी सड़क पर ला नहीं सकते हैं। क्षेत्रवासी आनंद सिंह ने बताया कि

सरपंच, विधायक सहित अधिकारियों को कॉलोनी की बहाल व्यवस्था को लेकर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सोमलपुर गांव का पूरा पानी तीनों कॉलोनी में भर चुका है, जिसके कारण कॉलोनी की सड़कें और नालियां खराब हो चुकी हैं।

लोगों ने बताया कि मानसून के दौरान यहां पर हालात बहुत खराब हो जाते हैं। गलियों में दो से तीन फीट तक बरसात का पानी भर जाता है। जल कर्प्सू की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही हाल शहर के कई अन्य कॉलोनियों का भी है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि बदहाल कॉलोनियों की व्यवस्था सुधारी जाए।

रूप टॉप सोलर के प्रति आमजन को जागरूक किया

अजमेर, (कास)। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा मंगलवार को सोलर के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अजमेर सिकिल के पुष्कर, किशनगढ़, रूपनगढ़ तथा नसीराबाद कार्यालयों पर शिबिर का आयोजन कर आमजन व उपभोक्ताओं को सोलर एनर्जी के प्रति जागरूकता के लिए शिबिर का आयोजन आमजन मौजूद रहे।

अधीक्षण अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि प्रबंध निदेशक केपी वर्मा के निदेश पर अजमेर सिकिल के पुष्कर, किशनगढ़, रूपनगढ़, नसीराबाद कार्यालयों में आमजन को सोलर के प्रति जागरूकता के लिए शिबिर का आयोजन किया गया। प्रदेश में सोलर एनर्जी को कार्यालय बनाया है, इसके मद्देनजर पीएम सूर्य घर योजना के तहत शिबिर आयोजित कर आमजन व उपभोक्ताओं को रूप टॉप सोलर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ता को छत पर सोलर लगाकर विद्युत का उत्पादन कर सकता है तथा अधिक बनी बिजली

को डिस्कॉम को बेचकर मुनाफा भी कमा सकता है। जनसम्पर्क अधिकारी सतीश सोनी ने बताया कि केएम में आमजन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में विस्तार से जाना। पुष्कर, रूपनगढ़, किशनगढ़ तथा नसीराबाद में लगाए गए शिबिरों का अवलोकन कर आमजन के सर्वालों के जवाब भी दिए। सौर उर्जा प्लांट लगाने वाले को एक किलोवाट पर पंद्रह हजार, दो किलोवाट पर तीस हजार व उससे अधिक किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने पर 78 हजार रुपए की सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में सोलर एनर्जी बढ़ती हुई बिजली की मांग को संतुलित करने का उभय साधन है। इसलिए आमजन से सम्पर्क है कि इस योजना के तहत घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करवा सकते हैं।



राशिफल

बुधवार 4 सितम्बर, 2024

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2081, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गुरुवार प्रातः 6:14 तक, साध्य योग रात्रि 8:02 तक, बव करणप्रातः 9:47 तक, चन्द्रमा प्रातः 9:55 से कन्या राशि में संचार करेगा।

रहस्य तिथि: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कर्क, गुरु-वृष, शुक्र-कन्या, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज बुध मघा सिंह में दिन 11:22 पर प्रवेश करेगा। आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगो-नति है। आज नक्षत्र पूर्ण होगा और मीन व्रत (वैत) आरम्भ होगा। आज प्रथम प्रकाश उत्सव (प्राचीन मत) गुरु ग्रंथ साहिब है। आज आखिरी चारह राध्या है। श्रेष्ठ चौघडियार: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:19 तक, शुभ 10:52 से 12:26 तक, चर 3:33 से 5:07 तक, लार्घ 5:07 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:40

मेघ परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क व्यावसायिक कार्यों के लिए साहसी रहेंगे। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अटक हुआ घर सफल होगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संचालित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतियोगिता बढ़ेगी। व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला व्यावसायिक कार्यों के लिए साहसी रहेंगे। नौकरपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

धनु व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। अटक हुए कार्य बनने लगे। नवीन कार्यों में संतुलन मिलेगा। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

मकर नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक कार्य बनने लगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में तालमेल हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मीन परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।